**UPVR010100192025**

**न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एस0सी0/एस0टी0 एक्ट), वाराणसी।**

**परिवाद संख्या–1339/2025**

**नखडू सरोज**–––––बनाम––––मिठाईलाल वगै०

दिनांक-**04.06.2026**

पेश हुई।

संक्षेप में परिवाद पत्र अंतर्गत धारा 223 BNSS में परिवादी नखडू सरोज का कथन है कि परिवादी के मामा स्वर्गीय सुक्खू (पुत्र स्वर्गीय खुड़बुड़ उर्फ खुइभूड), जो किन्नर समुदाय के सदस्य थे, का निधन 15 जनवरी 2025 को लंबी बीमारी के बाद हो चुका है। उनका निवास स्थान मकान संख्या सी-21/21 क-1, पिशाचमोचन, थाना चेतगंज, वाराणसी था। परिवादी अनुसूचति जाति के "पासी" समुदाय से सम्बन्धित है, जबकि अभियुक्तगण 2 ता 4 सामान्य जाति के व अभियुक्त सं० 1 पिछड़ी जाति के है। परिवादी के जाति का प्रमाण पत्र जो सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया है की छायाप्रति स्वहस्ताक्षरित परिवाद पत्र के साथ संलग्न है। परिवादी के मामा स्वर्गीय सुक्खू ने अपने जीवनकाल में किन्नर समाज की परम्पराओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों से प्राप्त होने वाले नेग के रूप में बहुमूल्य आभूषणों को एकत्रित किए थे, उन आभूषणों में 683 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी शामिल थी, जो उनकी जीवन भर की पूंजी थी। परिवादी के मामा स्वर्गीय सुक्खू, जब अपनी बीमारी की अवस्था में थे, उस समय परिवादी उनकी सेवा और देखभाल कर रहा था, तो सेवा-टहल के दौरान परिवादी के मामा ने उसे यह जानकारी दी कि "उसका परिचित मिठाई लाल (अभियुक्त संख्या-1) ने छलपूर्वक उनके सभी कीमती आभूषण (683 ग्राम सोना और 700 ग्राम चांदी) को अपने कब्जे में लेकर हड़प लिया है और जब भी मैं मिठाई लाल से इन आभूषणों के बारे में पूछता हूँ तो कहता है कि उसने उन आभूषण को हुकुलगंज, पाण्डेयपुर स्थित "दिनेश कुमार महेश कुमार सेठ प्रतिष्ठान" नामक सोने-चांदी के खरीद-विक्रय की दुकान में गिरवी रखकर इसके बदले मु० 22,00,000/-(बाइस लाख) रूपये लेने की झूठी बात कह रहा, क्योंकि जिस दुकान पर वह मेरे गहनों को गिरवी रखने की बात वह बता रहा है वह उसके ही निकट सहयोगियों दिनेश कुमार, महेश कुमार और नंदलाल सेठ (अभियुक्तगण) की है, जो उसके हेली-मेली और आपराधिक कार्मों के सहयोगी है। यह सारा काम मिठाई लाल ने मेरी इच्छा के खिलाफ, एक पूर्व नियोजित साजिश के तहत जानबूझकर और दुर्भावनापर्ण तरीके से गहनों को अपने आपराधिक सहयोगियों की दुकान पर रखकर आर्थिक लाभ उठा रहा है। मैं जब भी मिठाई लाल से अपने आभूषणों की वापसी की मांग करता हूँ तो हर बार वह टाल-मटोल करते हुए लौटाने से स्पष्ट रूप से इनकार करता रहा है, जिससे मुझे यह पूरा विश्वास हो गया है कि वह मेरे गहनों को हड़पने की मंशा रखता है और उसे वापस करने का उसका कोई इरादा नही लग रहा है।" जब परिवादी को अपने मामा स्वर्गीय सुक्खू के साथ अभियुक्त संख्या 1 मिठाई लाल द्वारा की गई धोखाधड़ी और विश्वासघात की जानकारी मिली, तो उसने स्वयं मिठाई लाल से इस विषय में बातचीत किया तो मिठाई लाल ने कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया और विषय को टालने का प्रयास करता रहा और बाद में कहा कि जब तुम्हारे मामा मांगेंगे तो मैं उनको लौटा दूंगा। इसके पश्चात्, परिवादी के मामा स्वर्गीय सुक्खू ने स्वयं, परिवादी की उपस्थिति में, अभियुक्त संख्या 1 मिठाई लाल से अपने आभूषणों की वापसी की स्पष्ट रूप से मांग किया तो इस पर वह अत्यन्त क्रोधित होते हुए आभूषणों को लौटाने से साफ इंकार करते हुए परिवादी तथा उसके मामा को अत्यन्त अपमानजनक भाषा में माँ-बहन की गंदी गंदी गालियाँ देकर उसने जानबूझकर अपमानित करने की मंशा से परिवादी के मामा को

Digitally signed by SUDHAKAR RAI
Date: 2026.06.20 07:44:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। इस घटना से परिवादी के मामा स्वर्गीय सुक्खू को गहरा मानसिक आघात पहुँचा और उनका आत्मसम्मान गंभीर रूप से आहत हुआ जिससे वे गहरे अवसाद में चले गए तथा इसी मानसिक तनाव के कारण उनकी शारीरिक स्थिति और अधिक बिगड़ गई। इस मानसिक और शारीरिक पीड़ा के परिणामस्वरूप कुछ ही समय बाद उनका निधन हो गया। परिवादी के मामा की मृत्यु के उपरान्त अभियुक्त संख्या-1 ने परिवादी को दिनांक 25 जनवरी 2025 को हुकुलगंज स्थित "दिनेश कुमार महेश कुमार सेठ प्रतिष्ठान" पर बुलाया, जहाँ पर उस समय दुकान पर अभियुक्त संख्या 1 के अलावा अन्य अभियुक्तगण दिनेश कुमार, महेश कुमार एवं नंदलाल सेठ भी मौजूद रहे, परिवादी ने वहाँ जाकर अपने मामा के आभूषणों की वापसी हेतु अनुरोध किया तो सभी अभियुक्तों ने परिवादी से कहा कि "पहले 22 लाख रूपया दो, तभी गहना मिलेगा।" जब परिवादी ने इस अनुचित व अवैध रूपयों की मांग का विरोध करते हुए कहा कि आभूषण उसके मामा के हैं और उन्होने इसे गिरवी नहीं रखा है तो किस बात का पैसा मैं आप लोगों को दूँ। परिवादी के विरोध पर सभी अभियुक्तों ने परिवादी को अपमानित करना शुरू कर दिया और परिवादी के जाति को लेकर अपमानजनक एवं जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा- "पासी जाति के लोग अपनी औकात में रहो, तुम्हारे मामा का गहना तुम्हें नहीं मिलेगा।" इस अपमानजनक व्यवहार के बाद, सभी अभियुक्तों ने गाली-गलौज करते हुए माँ-बहन की गन्दी गन्दी गालियाँ दिया और उसे जान से मारने की धमकी देते हुए बलपूर्वक एवं अनुचित तरीके से दुकान से धक्का देकर बाहर निकाल दिया, जिससे परिवादी को मानसिक आघात एवं सामाजिक अपमान का सामना करना पड़ा। इस घटना की सूचना सम्बन्धित थाना को परिवादी द्वारा दी गई, परन्तु थाना द्वारा उपरोक्त व्यक्तियों के प्रभाव एवं दबाव में कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिवादी के पास अभियुक्त दिनेश कुमार के साथ हुई एक मोबाइल वार्ता का ऑडियो रिकॉर्ड उपलब्ध है, जिसमें अभियुक्त दिनेश कुमार स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि परिवादी के मामा के सभी सोने एवं चांदी के आभूषण उसकी दुकान में ही सुरक्षित रूप से रखे गए हैं। दिनांक 05 मई 2025 को, अभियुक्तगण मिठाई लाल, दिनेश कुमार, महेश कुमार, नंदलाल सेठ तथा दो अन्य अज्ञात व्यक्ति परिवादी के मामा के उक्त गहनों के बाबत् पंचायत का बहाना बनाकर परिवादी से बातचीत करने के लिए परिवादी के मामा के निवास स्थान पर पहुँचे। प्रारंभ में उन्होने बातचीत का माहौल सामान्य बनाए रखा, परन्तु शीघ्र ही उनका व्यवहार आक्रामक एवं अपमानजनक हो गया। अभियुक्तों तथा उनके साथ आये व्यक्तियों ने पुनः जातिसूचक एवं अत्यन्त अपमानजनक शब्दों को प्रयोग करते हुए मानसिक रूप से परिवादी को प्रताड़ित किया। उन्होने परिवादी को धमकाते हुए कहा- "पासी जाति के लोग अपनी औकात में रहो, तुम्हें कोई गहना नहीं मिलेगा। अगर ज्यादा शोर मचाया गहनों के लिए, तो तुम्हारी लाश भी नहीं मिलेगी।" इसके अतिरिक्त, इस घटना के बाद से परिवादी एवं उसके परिवार को निरंतर मानसिक उत्पीड़न एवं धमकियां मिल रही है, जिससे उनका सामाजिक जीवन, मानसिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रभावित हो रही है। परिवादी एवं उसके परिजन भय के वातावरण में जीवन व्यतीत कर रहे है और उन्हें आशंका है कि अभियुक्तण उनके साथ किसी भी प्रकार की गंभीर हानि पहुँचा सकते है। अभियुक्तगण के आपराधिक कृत्यों के विरूद्ध परिवादी द्वारा सम्बन्धित थाना व सक्षम पुलिस अधिकारी को कई बार सूचना दिया, किन्तु उनके पैसों व राजनितिक प्रभाव के चलते उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, लिहाजा न्याय की आस में यह परिवाद माननीय न्यायालय के समक्ष दाखिल किया जा रहा है।

उभयपक्षों को सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया।

परिवादी की तरफ से यह बहस किया गया है कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण मिठाईलाल, दिनेश कुमार सेठ, महेश कुमार सेठ, नन्दलाल सेठ ने उसके मामा के सारे सोने के गहने आपस में मिलकर हड़प लिये हैं और परिवादी व परिवादी के मामा को उसके बदले एक भी रुपया नहीं मिला है तथा दिनांक 25.01.2025 को सभी अभियुक्तगण दिनेश कुमार, महेश कमार सेठ प्रतिष्ठान से जब परिवादी अपने मामा की मृत्योपरांत मामा के गहने लेने गया तो परिवादी से 22,00,000/- रुपये की मांग किया गया व पासी जाति से संबोधित कर गाली दिये व अपमानित

किये। अतः अभियुक्तगण द्वारा किये गये आपराधिक कृत्य के बाबत उन्हें दण्डित किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षीगण की तरफ से बहस किया गया है कि सारे आरोप मिठाईलाल पर लगाये गये हैं तथा परिवादी के मामा सुक्खू का वसीयतनामा है, जिसमें वह खुद गवाह है व वसीयतनामा में सोना मिठाईलाल द्वारा लिये जाने के बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं है जहां तक वसीयतनामा में उल्लेख होने का प्रश्न है, तो यह आवश्यक नहीं है कि हर संपत्ति का वसीयतनामा में उल्लेख किये जाये। इसके अतिरिक्त शेष अभियुक्तगण हुकुलगंज के निवासी हैं, जबकि परिवादी कज़ाकपुरा का रहने वाला है व अभियुक्त दिनेश वृद्ध व बीमार व्यक्ति है। अतः परिवाद खारिज किये जाने की याचना की गयी है।

पत्रावली में परिवादी नखडू सरोज और उसके मामा स्व० सुक्खू जो कि किन्नर समुदाय से थे तथा किन्नर समाज की परंपराओं के अनुसार विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में प्राप्त होने वाले नेक के रूप में बहुमूल्य आभूषणों को एकत्रित किये थे जिसमें 683g सोना तथा 700g चांदी शामिल थी जिसे अभियुक्त मिठाई लाल व शेष अभियुक्त दिनेश कुमार सेठ, महेश कुमार सेठ व नन्दलाल सेठ आदि द्वारा लिया गया और वापस मांगने पर परिवादी से 22,00,000/- रुपये की मांग की जा रही है तथा दिनांक 25.01.2025 को अभियुक्तगण द्वारा परिवादी को जान से मारने की धमकी दिया गया व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया गया। जिसके बाबत प्रार्थना पत्र में कथन अंकित है तथा सबूत के तौर पर परवादी व परिवादी के दो साक्षी पप्पू कुमार व सत्यम कुमार से बयान से अभियुक्तगण को तलब किये जाने हेतु प्रथमदृष्टया आधार प्राप्त है। अतः अभियुक्तगण अंतर्गत धारा 316(1),316(2),351(3),352 BNS व 3(1)(द), 3(1)(ध) SC/ST Act के अंतर्गत तलब किये जाने की याचना की गयी है। तदनुसार परिवाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण मिठाईलाल, दिनेश कुमार सेठ, महेश कुमार सेठ व नन्दलाल सेठ को अन्तर्गत धारा- 316(1),316(2),351(3),352 BNS व 3(1)(द), 3(1)(ध) SC/ST Act के प्रकरण में विचारण हेतु जरिये समन दिनांक- के लिये तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अन्दर सप्ताह करें एवं सूची गवाहान दाखिल करें।

प्रश्नगत् प्रकरण विशेष सत्र परीक्षण के रूप में सी0 आई 0 एस 0 पर दर्ज रजिस्टर किया जाये। कार्यालय लिपिक अनुपालन सुनिश्चित करें। तद्नुसार परिवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली विशेष सत्र परीक्षण के रूप में उक्त नियत तिथि को हाजिरी हेतु पेश हो।

(सुधाकर राय)
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० एक्ट)
वाराणसी।
JO Code UP6256